2-5-19

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित तथा वकील रेस्पोडेन्ट सं0 9 लगा0 12 उपस्थित। उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कथन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील ही उनकी बहस है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि वाके ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा पटवार हल्का अखैपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित ख0नं0 658 रकबा 0.5285 हे0 बारानी अव्वल, ख0नं0 683/737 रकबा 0.35 हे0 एवं ख0नं0 684/738 रकबा 0.1300 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0085 हे0 स्थित है। वादग्रस्त भूमि में से प्रत्येक अपीलान्ट का 1/20 हिस्सा खातेदारी है, रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 8 की पृथक–पृथक रूप से 1/20–1/20 हक हिस्सा खातेदारी है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगा0 8 के पिता प्रभात ने बिना किसी अधिकारिता के अपने 1/20 हिस्से की भूमि के अतिरिक्त अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 लगा0 8 के हिस्से की 9/20 भूमि का बैचान रेस्पोडेन्ट सं0 9 लगा0 12 के हक में पृथक–पृथक रूप से कर दिया एवं राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण सं0 236 अपने हित में खुलवा लिया जिससे विवश होकर अपीलान्ट्स ने एक वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा माननीय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के यहां वाद सं0 70/2018 मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 8 एवं रेस्पोडेन्ट सं0 10 के खिलाफ दायर किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं0 9 लगा0 12

पत्रावली
पेश
पार्टी
9/5
17/5/19

(चतुर्थ)
जयपुर

Scanned by CamScanner

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	

द्वारा अपीलान्ट के कब्जे काश्त का अवरोध उत्पन्न करने पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 से इस बाबत उलाहना दिये जाने पर उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं0 9 लगा0 12 के पक्ष में खुलने की जानकारी दी जिस पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट्स को दिनांक 06.08.2018 को प्राप्त हुई जिसके अवलोकन से अपीलान्ट्स को जानकारी हुई। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में देरी जानबूझकर नही की गई है बल्कि परिस्थितिवश हुई है जो क्षम्य योग्य है। अतः अपीलान्ट्स को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर प्रार्थना पत्र सावधि मानी जावें।

अप्रार्थी सं0 9 लगा0 12 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट को वाकैयात तथ्यों की पूर्व से पूर्ण जानकारी रही है। वरवक्त पंजीकृत विलेख में गवाह बतौर उनके भ्राता के हस्ताक्षर रहे है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की नकल दिनांक 06.08.2018 को प्राप्त करना एवं जानकारी का श्रोत नकल प्राप्त होने के पश्चात् मिथ्या दर्ज किया है। जबकि अपीलान्ट ने अपील मीमो के प्रारंभ में ही नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष पेश करना स्वीकार किया है। उक्त वाद दिनांक 09.07.2018 को पेश किया गया था। अतः प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.08.2018 को जानकारी होने का कथन करना मिथ्या है। नामान्तरकरण सं0 236 दिनांक 17.05.2016 की जानकारी अपीलान्ट्स को प्रांरभ से ही रही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मियाद मिथ्या दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा दायर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जिसमें देरी होने का कोई समुचित कारण दर्ज नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मियाद तोषी झूंठे तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जावे। वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस निम्न न्यायिक दृष्टान्तों को भी प्रस्तुत किया:—

1. आर.आर.डी 1995 पेज सं0 120
2. आर.आर.टी. 2017 पेज सं0 944

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। यह अपील पुत्रों द्वारा अपने जीवित पिता सहित उनके भाईयों तथा उनके द्वारा उनके कब्जे काश्त की भूमि को विक्रय की जाने पर पेश की गई है।

अपीलान्टस् ने अपील में अंकित किया गया है कि उनको रेस्पोडेन्ट सं0 9 लगा0 12 द्वारा अपीलान्ट के कब्जे काश्त का अवरोध उत्पन्न करने पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 से

अतिरिक्त कलेक्टर (चतुर्थ), जयपुर

इस बाबत उलाहना दिये जाने पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं0 9 लगा0 12 के पक्ष में खुलने की जानकारी दी, जिस पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट्स को दिनांक 06.08.2018 को प्राप्त होने से अपीलान्ट्स को जानकारी हुई, जबकि उनके द्वारा अपील में यह भी अंकित किया है कि अपीलान्ट्स ने एक वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के यहां वाद सं0 70/2018 मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 8 एवं रेस्पोडेन्ट सं0 10 के खिलाफ दायर किया गया है। जिसमें तारीख पेशी दिनांक 14.08.2018 को नियत थी। अर्थात उक्त तिथि से पूर्व अपीलान्ट द्वारा दावा पेश किया जा चुका था। रेस्पोडेन्स के विद्वान अधिवक्ता का भी यही कथन है कि अपीलान्ट को तथ्यों की पूर्व से पूर्ण जानकारी रही है। पंजीकृत विलेख में भी गवाह बतौर उनके भ्राता के हस्ताक्षर रहे है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष उक्त वाद दिनांक 09.07.2018 को ही पेश कर दिया गया था। अर्थात अपीलान्ट को दिनांक 06.08.2018 को जानकारी होने का कथन करना मिथ्या है।

अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील में इस तथ्य की जानकारी नहीं दी है कि उनके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर में वाद कब किस तिथि को प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा तथ्य को छुपाते हुए कपटपूर्वक यह कथन किया है कि तारीख पेशी दिनांक 14.08.2018 को नियत है जिससे इस बात को बल मिलता है कि अपीलान्ट द्वारा तथ्य की जानकारी होने को उनके द्वारा छुपाया जा रहा है।

चूंकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 06.08.2018 से पूर्व ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर में दावा पेश किया जा चुका था परन्तु अपीलान्टस् द्वारा अपील में मिथ्या कथन किया है कि उसे दिनांक 06.08.2018 से पूर्व मामा0 की जानकारी नहीं थी। जबकि उसके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर में दिनांक 06.08.2018 से पूर्व ही वाद पेश कर दिया गया था। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा मियाद बिन्दु पर न्यायालय के समक्ष मियाद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो काबिले अस्वीकार है।

अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 2.04.2019 को सुनाया गया।

(डॉ. अशोक कुमार)

Scanned by CamScanner